

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(36)राज/वाद/19पार्ट-2

जयपुर, दिनांक 6/12/2022

:: आदेश ::

निम्नांकित लोक/अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषकगण की सेवा अवधि में एतद्वारा वृद्धि की जाती है:-

क्र.सं०	नाम अभियोजक	पद नाम	सेवा वृद्धि
1	2	3	4
1	श्री विवेक सक्सैना	विशिष्ट लोक अभियोजक (अजा/अजजा), झालावाड	दिनांक 01.08.22 से 31.07.23 तक
2	श्री गोविन्द नारायण तेंवर	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, श्रीमाधोपुर जिला सीकर	दिनांक 01.08.22 से 31.07.23 तक
3	सुप्रीमा चितलागिया	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं०2, श्रीगंगानगर	दिनांक 01.08.22 से 31.07.23 तक
4	श्री प्रदीप कुमार शर्मा	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, झालावाड	दिनांक 01.11.22 से 31.07.23 तक

आज्ञा से

ह.  
(हिमांकनी गौड़)  
विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 विशेषाधिकारी (जीएसवाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 7 संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
- 8 संबंधित न्यायालय।
- 9 संबंधित जिला कलक्टर।
- 10 संबंधित कोषाधिकारी।
- 11 संबंधित अभियोजक।
- 12 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 13 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- 14 प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 15 रक्षित पत्रावली।

ह.  
(हिमांकनी गौड़)  
विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण